टेलीफोन रेवेन्यू कार्यालयों का हटाया जाना

२६७. **श्री नारायणदीन :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीफोन रेवेन्यू कार्यालयों को दिल्ली से हटाकर नागपुर और लखनऊ ले जाने में सरकार द्वारा कितना धन खर्च किया गया ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : इन कार्यालयों को नागपुर ले जाने में १७,६१४ रुपये और लखनऊ ले जाने में ४६,२२७ रुपये खर्च किये गये हैं।

लखनऊ के डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये निवास स्थान

२६८. **श्री नारायणदीन :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन रेवेन्यू (उत्तर प्रदेश) कार्यालय लखनऊ के कर्मचारियों को अभी तक सरकारी निवास-स्थान न देने के क्या कारण है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ मकान खरीदने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से बात चीत चल रही है ,

(ग) इन कर्मचारियो की आवास सम्बन्धी समस्या कब तक हल हो सकेगी ,

(घ) क्या लखनऊ में डाक तथा तार कालोनी बनाने की कोई योजना विचाराधीन है , और

(ङ) यदि हा, तो वह कब तक कार्यान्वित किये जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) . (क), (ख) और (ग) लखनऊ के टेलीफोन आय ((Telephone Revenue)कार्यालय के कर्मचारियो के लिये वहां की राज्य सरकार से कुछ-एक क्वार्टर खरीद लेने का प्रस्ताव है । इस खरीद की शर्तों तथा उपबन्धो (conditions) के विषय में उक्त सरकार से बातचीत चल रही है ।

(घ) जी हा ।

(ङ) आशा है कि जमीन १६५६-६० के बीच प्राप्त कर ली जायगी ।

Dismissed and Suspended Employees

299 Shri Rajendra Singh: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of employees dismissed and suspended during 1958-59 so far and those who are at present under suspension for more than three months (Class-wise);

(b) what are the rules under which suspension of Class III and IV could be made legally; and

(c) whether there is any time limit in regard to the suspension period or not?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) 1711(i) The appointing authority or any higher authority or any other authority empowered in this behalf, may place a railway servant under suspension where—

(a) an inquiry into his conduct is contemplated, or is pending, or

(b) a complaint against him of any criminal offence is under investigation or trial

(ii) A railway servant who is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period longer than forty-eight hours